

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी - मार्च, 2003 सत्र

संनिवेदन संसदी

सोमवार, दिनांक 17 फरवरी, 2003 (मार्च 28, 1924)

समय 10.30 बजे बिन

१. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

२. सुन्दरनी के संबंधित प्रश्नोत्तर

उ. नियम 138 (१) के अधीन व्याप्त आकर्षण

(१) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, सागर जिले के भैंसा स्थित धड़ार गृह से गेहूं की कगलाकाजारी किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(२) श्री प्रेमचंद गुड्डू, सदस्य, इंदौर जिले के बरताई हुआ भिल के कर्मचारियों को बेतन भुगतान न होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

३. सारकारी विधि विवरण बारे

श्री सत्येन्द्र पाठक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, मध्यप्रदेश सीट अपमिश्रन निवारण (निरसन) विधेयक, 2003 (दिनांक 1 सन् 2003) के पुरस्तापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्तापित करेंगे।

उ. राज्यपाल के अभिभावन पर श्री विद्य निराजन खम्मारिया, सदस्य, छात्र दिनांक 18 फरवरी, 2003 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रवााव पर चर्चा (जम्मा)

"राज्यपाल ने जो अधिभावन दिया, उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यागण अस्विन्न कृतज्ञ हैं"।

धोपल :
दिनांक : 18 फरवरी, 2003

डॉ. प. कै. पद्मली
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।